प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

दांडिक अपील क्रमांक 381 वर्ष 1996

अपीलार्थी मनोज कुमार मिंज

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 476 वर्ष 1996

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी थाडियुस तिर्की

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

दिनांक 22.11.2012 को आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

दांडिक अपील क्रमांक 381 वर्ष 1996

अपीलार्थी मनोज कुमार मिंज

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 476 वर्ष 1996

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी थाडियुस तिर्की

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

श्री विवेक रंजन तिवारी तथा श्री एन. नाहा रॉय संबंधित अपीलार्थीगण के लिए अधिवक्ता

श्री देव करण ग्वालरे, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दांडिक अपील)

निर्णय

(दिनांक 22.11.2012)

क्योंकि यह दोनों अपीलें सत्र प्रकरण क्रमांक 242/1995 में अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर नगर द्वारा पारित दि. 12.2.1996 के एक ही निर्णय एवं आदेश से उद्भूत हुई हैं, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी - मनोज कुमार मिंज को भारतीय दंड संहिता की धारा 458, 324, 366 और 376 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे धारा 458 एवं 324 के तहत पृथक-पृथक 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 300/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, और धारा 366 एवं 376 के तहत पृथक-पृथक 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 400/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है; जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी थाडियुस तिर्की को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 300/- रुपये के जुर्माने व व्यतिक्रम शर्तों से दंडित किया गया है, अतः उन्हें इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दि. 12.6.1995 को प्रातः 7:15 बजे अभियोक्त्री की माता कमला बाई (अ.सा.-2) द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-3) दर्ज कराई गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दि. 11.6.1995 की मध्यरात्रि को, अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज ने तीन अन्य व्यक्तियों के साथ उसके घर में प्रवेश किया, उसकी बड़ी बेटी रेखा (अ.सा.-3) को पकड़ा, उस पर चाकू से हमला किया और उसके पश्चात उसकी छोटी बेटी (अभियोक्त्री- अ.सा.-1) का अपहरण कर लिया। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्त मनोज और तीन अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 452, 363, 366, 376 और 34 के तहत अपराध पंजीकृत किए गए। घायल रेखा (अ.सा.-3) का चिकित्सीय परीक्षण 12.6.1995 को प्रदर्श पी-20 के अनुसार डॉ. विजया शर्मा (अ.सा.-12) द्वारा किया गया, जिन्होंने उसके शरीर पर पांच चोटें पाईं। रेखा (अ.सा.-3) दि. 12.6.1995 से दि. 19.6.1995 तक अस्पताल में भर्ती रही। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) को दि. 15.6.1995 को जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से

प्रदर्श पी-5 के अनुसार बरामद किया गया और उसी दिन प्रदर्श पी-28 के अनुसार डॉ. (श्रीमती) जे. मिंज (अ.सा.-14) द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, दि. 21.8.1995 को पांच अभियुक्तों यथा प्रकाश, थाडियुस तिर्की, सुनील तिर्की, विजय प्रकाश और मनोज के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 363, 366, 343, 376, 450 और 34 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन ने 19 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त व्यक्तियों के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सुनील एवं विनय प्रकाश को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। अभियुक्त मनोज और प्रकाश को भी धारा 307 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है, किंतु धारा 324 और 366 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त थाडियुस तिर्की को धारा 458 भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त अन्य सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है और इसी प्रकार अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज को इस निर्णय के कंडिका क्र. 1 में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज के अधिवक्ता श्री विवेक रंजन तिवारी का तर्क है कि उसका (अभियुक्त मनोज का) अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साथ प्रेम प्रसंग था और वह बिना किसी विरोध के उसके साथ जलपाईगुड़ी (प.बं.) तक गई थी। उनके अनुसार, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रासंगिक समय पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 16 वर्ष थी, अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज को धारा 376

भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। वह तर्क देते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अभियोक्त्री का अपहरण या व्यपहरण इस आशय से किया गया था कि उसे अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश किया जाए या उसे किसी भी तरह से उसके साथ अवैध संभोग करने के लिए फुसलाया जाए और इन परिस्थितियों में उसे धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत भी दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, श्री तिवारी के अनुसार, धारा 458 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए भी अभियुक्त मनोज और थाडियुस तिर्की को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोक्त्री का अभियुक्त मनोज के साथ प्रेम प्रसंग था और उन्होंने उसकी सहमति से उसके घर में प्रवेश किया था। हालांकि, वह यह निवेदन करते हैं कि अभियुक्त/अपीलार्थी को अधिकतम धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत ही दोषसिद्ध किया जा सकता है जिसके लिए वह पहले ही छह महीने जेल में काट चुका है और इसलिए उसकी सजा को पहले से भुगति गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त थाडियुस तिर्की के अधिवक्ता श्री नाहा रॉय तर्क देते हैं कि इस अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि वह अभियोक्त्री के घर में प्रवेश करते समय अभियुक्त मनोज के साथ था और चूंकि अभियुक्त मनोज का उसके साथ प्रेम प्रसंग था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध या किसी अपराध को करने के आशय से उसके घर में प्रवेश किया था। अतः, श्री नाहा रॉय के अनुसार, अभियुक्त थाडियुस तिर्की के विरुद्ध धारा 458 भारतीय दंड संहिता का अपराध नहीं बनता है। वह तर्क देते हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी इस अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और कोई पहचान कार्यवाही भी आयोजित नहीं की गई है इसलिए भी इस न्यायालय के लिए उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं होगा।

6. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता तर्क देते हैं कि अभियुक्त मनोज ने अपने साथियों के साथ अत्यंत साहसी तरीके से अभियोक्त्री के घर में प्रवेश किया, उसकी बहन रेखा (अ.सा.-3) पर हमला कर उसके शरीर पर पांच चोटें पहुंचाईं और फिर अभियोक्त्री को जबरन पश्चिम बंगाल तक ले गया और इस अवधि के दौरान उसने उसके साथ जबरन संभोग किया। वह तर्क देते हैं कि एक बार जब अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध संभोग किया गया है, तो उसके विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता का अपराध पूरी तरह से बनता है। इसी प्रकार, उनके अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों ने रात में अभियोक्त्री के घर में प्रवेश किया था, इसलिए धारा 458 भारतीय दंड संहिता का अपराध भी उन दोनों के विरुद्ध बनता है। उनके अनुसार, रेखा (अ.सा.-3) को आई चोटों पर विचार करते हुए, अभियुक्त मनोज के विरुद्ध धारा 324 भारतीय दंड संहिता का अपराध भी बनता है। राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन कोई 'विश्वकोश' नहीं है और भले ही किसी व्यक्ति का नाम गायब हो, लेकिन यदि साक्षियों द्वारा, जिसमें आहत भी शामिल है, उसके विरुद्ध विशिष्ट भूमिका बताई गई है, तो उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है और इन परिस्थितियों में अभियुक्त थाडियुस तिर्की की दोषसिद्धि, भले ही उसका नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में न हो, पूर्णतः न्यायोचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कथन किया है कि वह अभियुक्त मनोज को जानती थी लेकिन अभियुक्त थाडियुस तिर्की को नहीं जानती थी। फिर उसने कथन किया कि वह उसे नाम से जानती थी। न्यायालय में उसने केवल अभियुक्त मनोज की पहचान की है।

उसने पुनः कथन किया है कि उसने अपना कथन दर्ज होने की तारीख से पहले किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को नहीं देखा था। उसके अनुसार, जून के महीने में अभियुक्त मनोज के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। विचारण न्यायालय द्वारा समय पर उत्तर देने की चेतावनी दिए जाने पर, क्योंकि वह चुप रहती थी, इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन रात्रि करीब 12 बजे जब वह अपनी बड़ी बहनों रेखा और रेनू, छोटे भाइयों सचिन नायक व अमित नायक और अपने पिता के साथ अपने घर में थी, जब अभियुक्त मनोज, प्रकाश, विनय, थाडियुस और विनय प्रकाश उसके घर में घुस आए और अभियुक्त मनोज तथा प्रकाश ने उसकी बहन रेखा पर चाकू से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे सिर पर चोट आई और खून बहने लगा। इस साक्षी के अनुसार, वे फिर अभियोक्त्री को असम ले गए और उसे वहां तीन दिनों तक रखा। उसने स्पष्ट किया है कि असम में उसके साथ केवल अभियुक्त मनोज था। पहले उसे अभियुक्तों द्वारा घोलेन ले जाया गया और वहां एक दिन रुकने के बाद उसे असम ले जाया गया। घोलेन में वह अभियुक्त मनोज के मामा के घर और असम में उसकी मौसी के घर पर रुकी थी। उसके अनुसार, असम में, अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने आगे बताया कि तीन दिनों में उसने अपनी मौसी की उपस्थिति में केवल एक बार उसके साथ बलात्कार किया। उसके पश्चात, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उसे असम पुलिस थाना और फिर कुनकुरी ले जाया गया। प्रति - परीक्षण में, इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने पहली बार अभियुक्त थाडियुस, विनय प्रकाश और सुनील को न्यायालय में देखा था और उससे पहले उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। उसके अनुसार,चूंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आंगन में सो रही थी और किसी के द्वारा दरवाजा धक्का देकर खोलने के बाद, वे सभी जाग गए। पहले वह कुनकुरी गई और फिर घोलेन और इस अवधि के दौरान केवल अभियुक्त मनोज उसके साथ था। उसने स्वीकार किया है कि जब उसे अभियुक्त मनोज द्वारा ले जाया गया तो उसने कोई शोर नहीं मचाया क्योंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसका मुंह बंधा हुआ था। फिर उसने कथन किया कि अभियुक्तों ने शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस साक्षी के अनुसार, मनोज के अलावा अन्य अभियुक्तों ने बीच रास्ते में ही उनका साथ छोड़ दिया था। इस साक्षी के अनुसार, हालांकि वह पत्र लिखने में सक्षम थी, लेकिन उसने कभी किसी को कोई पत्र नहीं लिखा और न ही किसी ने उसे लिखा। उसके तुरंत बाद, उसने कथन किया कि उसने मनोज को एक या दो पत्र लिखे और उसने भी उसे लिखे। उसने आगे कथन किया कि मनोज और वह व्यक्तिगत रूप से पत्रों का आदान-प्रदान करते थे। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त मनोज के मामा को उसके (अभियुक्त मनोज) द्वारा जबरन उठाए जाने के बारे में सूचित नहीं किया था। उसने आगे कथन किया कि उसे असम पहुंचने में तीन दिन लगे और इस अवधि के दौरान वह होटल में खाना खाती थी लेकिन उसने किसी को भी घटना के बारे में नहीं बताया। शिकायत दर्ज कराने वाली कमला बाई (अ.सा.-2) ने कथन किया है कि वह पूर्वोक्त अपीलार्थियों और अभियुक्त प्रकाश को जानती थी और घटना की तारीख को जब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आंगन में सो रही थी, तब सभी अभियुक्तों ने उसके घर में प्रवेश किया और अभियुक्त मनोज तथा प्रकाश ने उसकी बेटी रेखा पर चाकू से हमला किया जिससे उसके सिर पर चोट आई। उसके पश्चात, अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज और उसके दोस्त अभियोक्त्री को अपने साथ ले गए। वे पहले अभियोक्त्री को रानीपुर ले गए, फिर कुनकुरी, फिर घोलेन और फिर असम और अभियुक्त प्रकाश पूरे समय अभियुक्त मनोज के साथ रहा जबकि विनय, सुनील, थाडियुस ने ग्राम रानीपुर में उनका साथ छोड़ दिया। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त थाडियुस ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया था और उसे पिस्तौल जैसा कोई हथियार दिखाया था, जबकि अभियुक्त सुनील और विनय ने अभियोक्त्री को उठाया और उसे बाहर ले गए। उसके अनुसार, तीन दिन बाद, अभियोक्त्री घर लौटी और सूचित किया कि उसे अभियुक्त मनोज द्वारा ले जाया गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था, और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई। कु. रेखा (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि वह अभियुक्त मनोज और प्रकाश को जानती थी और दूसरों को नहीं। घटना के दिन रात लगभग 1 बजे, अभियुक्तों ने दरवाजा को धक्का देकर खोलकर उसके घर में प्रवेश किया, अभियुक्त मनोज ने चाकू से उसके पेट पर चोट पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि उसने उसका हाथ पकड़ लिया था, इसलिए चाकू का वार उसके हाथ पर लगा। उसने आगे कहा कि अभियुक्त प्रकाश ने भी उसके सिर पर चाकू से चोट पहुँचाई जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश होने लगी और उसे कुनकुरी के अस्पताल ले जाया गया। फिर वह कथन करती है कि पहले उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए नारायणपुर ले जाया गया जहाँ उसकी स्थिति में सुधार हुआ और फिर उसे कुनकुरी के अस्पताल ले जाया गया जहाँ वह आठ दिनों तक उपचार के अधीन रही। उसने कथन किया कि दो अभियुक्तों ने अभियोक्त्री को अगवा किया था लेकिन चूँकि वह बेहोश हो गई थी, इसलिए वह नहीं कह सकती कि वे कौन थे। कु. रेनू (अ. सा.-4) - अभियोक्त्री की एक अन्य बहन ने कहा है कि मध्यरात्रि में अभियुक्तों ने उसके घर में प्रवेश किया और अभियुक्त मनोज तथा प्रकाश ने उसकी बहन रेखा के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसकी दूसरी बहन (अभियोक्त्री) का अपहरण कर लिया गया जो दो दिन बाद घर लौटी और सूचित किया कि उसे बंगाल ले जाया गया था। अभियोक्त्री और रेखा (अ.सा.-3) के पिता रामटहल (अ.सा.-15) ने कथन किया है कि जब वह सो रहा था, पांच व्यक्ति उसके घर में घुसे और रेखा को पीटना शुरू कर दिया। उसने कथन किया कि वह केवल अभियुक्त मनोज को जानता था और अन्य चार को नहीं। न्यायालय में अभियुक्त मनोज को पकड़कर उसने कथन किया कि, उसने केवल उसे ही पहचाना है और अन्य को नहीं। उसके अनुसार, उसकी बेटी (रेखा) के सिर और हथेली पर चोट आई थी। घटना के बाद जब अभियुक्तों ने घटनास्थल छोड़ा, तो उसने ग्रामीणों को बुलाया, फिर शिकायत दर्ज कराई गई और रेखा को अस्पताल ले जाया गया। इस साक्षी के अनुसार, रेखा के साथ मारपीट करने के बाद, अभियुक्तों ने उसकी दूसरी बेटी (अभियोक्त्री) को अगवा कर लिया, जिसे पुलिस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बंगाल से वापस लाई। घर पहुँचने के बाद, अभियोक्त्री ने बताया कि उसे अभियुक्त मनोज द्वारा बंगाल ले जाया गया था। उसने आगे कथन किया है कि अभियुक्त मनोज की माँ शिक्षिका थी और क्योंकि वह उसके बच्चों को भी पढ़ाती थी, इसलिए वह उसे जानता था। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी मनोज और अभियोक्त्री ने तीन रातें जंगल में बिताईं। अभियोक्त्री के अपहरण के बाद, उसने उसे खोजने का कोई प्रयास नहीं किया और बंगाल से लौटने के बाद ही उसे पता चला कि उसे अभियुक्त मनोज द्वारा ले जाया गया था। इस साक्षी के अनुसार, इससे पहले जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त मनोज के साथ जंगल में तीन रातें बिताई थीं, तो वह शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाना गया था लेकिन पुलिस वालों ने उससे कहा था कि पहले उसकी तलाश करो। इस साक्षी ने कथन किया कि उसे अपने बच्चों की जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं थी। अभियुक्त मनोज के मामा लोरेंस कुजूर (अ.सा.-5) ने कथन किया कि 2-3 माह पूर्व अभियुक्त मनोज एक लड़की के साथ उनके घर आया था और एक रात वहाँ रुका था। वह प्रदर्श पी-5 का साक्षी भी है। लीरो (अ.सा.-6), माणिक चंद (अ. सा.-7) व प्रेमानंद (अ.सा.-8) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। घनसाय राम प्रधान (अ.सा.-9) पटवारी है जिसने घटना स्थल का मानचित्र प्रदर्श पी-18 तैयार किया। प्रदर्श पी-19 के तहत की गई जब्ती के साक्षी बृजमोहन राम (अ.सा.-10) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। जब्ती और प्रकटीकरण कथन के साक्षी कौंधाराम (अ.सा.-11) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। डॉ. विजया शर्मा (अ.सा.-12) वह साक्षी हैं जिन्होंने रेखा के सिर और हाथ का एक्स-रे प्रदर्श पी-21 और पी-22 के अनुसार लिया था लेकिन कोई अस्थि-भंग (फ्रैक्चर) नहीं पाया गया। इस साक्षी ने उसके बेड हेड टिकट प्रदर्श पी-20 को भी सिद्ध किया है। एस. टोप्पो (अ.सा.-13) वह साक्षी है जिसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रेखा का चिकित्सीय परीक्षण किया और उसके शरीर पर पांच चोटें पाईं (प्रदर्श पी-23 के अनुसार), जो इस प्रकार हैं:

(I) दाहिने अग्रभाग पर एक कटा हुआ घाव, अनुप्रस्थ रूप से स्पष्ट कटे किनारे, घाव पर पर सूखा (काला) थक्का, आकार 1.5 इंच **x** 3 से.मी.।

(ii) दाहिने पश्चकपाल क्षेत्र (ऑक्सीपिटल रीजन) पर कटा हुआ घाव - अनुप्रस्थ, आकार 1.5 इंच **x** 5 से.मी. **x** 5 से.मी., स्पष्ट किनारे, घाव पर सूखा थक्का (काला)।

(iii) दाहिने हाथ पर अंगूठे और तर्जनी के बीच, तर्जनी और मध्यमा के बीच, मध्यमा और अनामिका के बीच तीन कटे हुए घाव। स्पष्ट कटे किनारे, घाव पर सूखा(काला) थक्का, प्रत्येक का आकार 1.5 इंच **x** 5 से.मी.।

(iv) बाएं हाथ पर तीन कटे हुए घाव, एक अंगूठे और तर्जनी के बीच, एक तर्जनी और मध्यमा के बीच, एक मध्यमा और अनामिका के बीच, स्पष्ट किनारे, प्रत्येक का आकार 1.5 इंच **x** 5 से.मी. **x** 5 से.मी. सूखा काला थक्का।

(v) अंगूठे को छोड़कर दोनों हाथों के उंगलियों के अंतिम हड्डियों के छोर पर कई छोटे आकार के कटे हुए घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने कथन किया है कि उन्हें रेखा के शरीर पर कोई अस्थि-भंग नहीं मिला और चोटें उन्हें दिखाए गए हथियार से पहुंचाई जा सकती थीं। इस साक्षी ने अभियुक्त मनोज का भी चिकित्सीय परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-27 दी जिसमें कथन किया गया कि वह संभोग करने में सक्षम था।

डॉ. (श्रीमती) जे. मिंज (अ.सा.-14) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-28 दी जिसमें कहा गया

कि उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं देखी गई, उसके माध्यमिक यौन लक्षण विकसित थे, योनिच्छद पुराना फटा हुआ था, दो अंगुलियां आसानी से उसकी योनि में प्रवेश कर गईं और उसके साथ बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। इसहाक (अ.सा.-16) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक याकूब (अ.सा.-17) ने स्कूल रजिस्टर प्रदर्श पी-30 को सिद्ध किया है और कथन किया है कि पूर्वोक्त रजिस्टर के क्रमांक 681 पर अभियोक्त्री की जन्म तिथि 1.6.1979 दर्ज थी और उन्होंने अभियोक्त्री की जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-31 जारी किया था। प्रति-परिक्षण में, इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियोक्त्री ने उनके विद्यालय में दिनांक 12.6.1994 से दिनांक 30.5.1995 तक अध्ययन किया था और कि विद्यालय में प्रवेश केवल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया था, लेकिन कथित प्रमाण पत्र उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईश्वर चंद यादव (अ.सा.-18) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। आर.ए. छत्रे (अ.सा.-19) अनवेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का विधिवत समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि दि. 11 और 12.06.1995 की मध्यवर्ती रात को अभियुक्त/अपीलार्थीगण मनोज कुमार मिंज, थाडियुस तिर्की ने अभियोक्त्री के घर में प्रवेश किया, अभियुक्त मनोज ने उसकी बहन रेखा (अ.सा.-3) पर चाकू से हमला किया और सह-अभियुक्त प्रकाश ने उसके सिर पर चोट पहुंचाई। अतः, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त मनोज और थाडियुस तिर्की को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. रेखा (अ.सा.-3) के बयान से, जिसे डॉ. विजय शर्मा (अ.सा.-12) द्वारा विधिवत पुष्ट किया गया है, यह स्थापित होता है कि घटना की तिथि पर अभियुक्त मनोज ने चाकू से रेखा पर हमला किया जिससे उसके हाथ में चोट आई और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अभियुक्त मनोज की दोषसिद्धि न्यायोचित प्रतीत होती है और तदनुसार इसे यथावत रखा जाता है।

11. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत अपीलार्थी मनोज की दोषसिद्धि का संबंध है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री अभियुक्त मनोज के साथ पहले गाँव घोलन, फिर असम और फिर जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) गई थी। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि जब अभियोक्त्री को अपीलार्थी द्वारा इन सभी स्थानों पर ले जाया गया, तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और न ही उसके चंगुल से बाहर आने का कोई प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, अभियोजन यह तथ्य स्थापित करने में विफल रहा है कि अपराध कारित होने के समय अभियोक्त्री अवयस्क थी, क्योंकि उसकी आयु के संबंध में कोई विश्वसनीय और विधिक रूप से स्वीकृत साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अतः, अभियोक्त्री के आचरण और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत अभियुक्त मनोज की दोषसिद्धि को विद्यमान रखना सुरक्षित नहीं होगा। तदनुसार, धारा 366 और 376 भा.दं.सं. के तहत उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामतः, दाण्डिक अपील क्र. 476/1996 सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है। हालांकि, दाण्डिक अपील क्र. 381/1996 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त मनोज की धारा 366 और 376 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। किंतु, धारा 324 और 458 भा.दं.सं. के तहत उसकी दोषसिद्धि यथावत रखी जाती है।

अभियुक्त/अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। उन्हें शेष सजा भुगताने हेतु तत्काल कारागार प्रेषित किया जाए।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By अधिवक्ता राजकुमार वर्मा